न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 68 / 2016

1. श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री चन्द्रभानसिंह
2. नरेन्द्र कंवर पत्नि श्री चन्द्रभानसिंह
3. प्रतिभा कंवर
4. चित्रा कंवर
5. मनभर कंवर
6. रशमी कंवर
7. तृप्ती कंवर

पुत्रियां श्री चन्द्रभानसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नगर, पोस्ट बड़ली, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

..................*अपीलान्टस*

बनाम

1. श्री हेमन्त
2. श्री विजय
3. श्री नरेन्द्र
   पुत्रगण श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल
4. चन्दा पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल
5. श्री राजेन्द्र
6. श्री श्यामलाल
7. श्री रामलाल
   पुत्रगण श्री गणेशीलाल
8. पुष्पा
9. शिमला
10. मैना
11. अनिता
    पुत्रियां श्री गणेशीलाल
    समस्त जाति दर्जी, निवासीगण हलवाई की गली (चूड़ी बाजार) गुलाबपुरा, तहसील गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर

..................**रेस्पोडेन्टस**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मदनलाल गुर्जर वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक — 22.11.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील विजयनगर के राजस्व ग्राम नगर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 350 में अंकित खसरा नम्बर 88 कुल रकबा 2.1045 के सहखातेदार काश्तकार श्री लक्ष्मीनारायण व श्री गणेशीलाल पुत्रगण श्री किशनलाल, जाति दर्जी, निवासीगण गुलाबपुरा की मृत्यु पश्चात मृतकों की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1480 दिनांक 07.05.2015 से मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित सजरा व प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर तहसीलदार विजयनगर द्वारा मृतकों के वारिस श्री हेमन्त, श्री विजय, श्री नरेन्द्र पुत्रगण श्री लक्ष्मीनारायण, चन्दा पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण, श्री राजेन्द्र, श्री श्यामलाल, श्री रामलाल पुत्रगण श्री गणेशीलाल, पुष्पा, शिमला, मैना, अनिता पुत्रियां श्री गणेशीलाल समस्त जाति दर्जी, निवासीगण गुलाबपुरा के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्टस द्वारा रेस्पोडेन्टस के पक्ष में स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्टस के नाम नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 पर ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टस को अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया, जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि ग्राम पंचायत ने अपने नोट दिनांक 17.09.2014 में स्पष्ट अंकित किया है कि न्यायालय के अन्तिम निर्णय पश्चात प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें जबकि न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। वकील अपीलान्टस ने आगे कथन किया कि ग्राम नगर की खेवट खतौनी संख्या नई 285 पुरानी 287 व आराजी खसरा नम्बर 33 जिसकी खतौनी जमाबन्दी संख्या 96 रकबा 192 बीघा 15 बिस्वा किस्म बीड़ में से कायम किया गया है। सम्वत 2022—2025 में साबिक आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 192 बीघा 15 बिस्वा अपीलान्टस के दादा श्री रणवेन्द्र महावीर सिंह के नाम दर्ज था किन्तु बाद में भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा इस खसरा नम्बर को 24 विभिन्न खसरा नम्बरान में विभाजित कर दिया जिसमें विवादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 1480 के आराजी खसरा नम्बर 88 भी कायम किये गये। उन्होने कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा रकबा 192 बीघा 15 बिस्वा के कायम 24 खसरा नम्बरों में से 23 खसरा नम्बर तो अपीलान्टस के दादा के नाम पुनः दर्ज हो गये किन्तु खसरा नम्बर 88 रकबा 13 बीघा भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व न्यायोचित आधार के जमाबन्दी खतौनी संख्या 2056—2059 में श्री लक्ष्मीनारायण, श्री गणेशीलाल व श्री जगदीश पुत्रगण श्री किशनलाल के नाम दर्ज कर दिये गये। अपीलान्टस को इस तथ्य की जानकारी होने पर उन्होने सहायक कलक्टर ब्यावर के न्यायालय में एक राजस्व वाद चन्द्रभान सिंह वगैरह बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो वर्तमान में विचाराधीन होने के साथ ही रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी है। उन्होने आगे कथन किया कि आक्षेपीय नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होने पर पंचायत द्वारा दिनांक 17.09.2014 को स्पष्ट नोट अंकित किया है कि "न्यायालय के अन्तिम निर्णय के पश्चात प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।" उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपीलान्टस का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिस पर अपीलान्टस द्वारा वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। वाद में अब तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दबाव व जल्दबाजी में आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिक्सल प्रोसिडिंग है, पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा वाद में ही होनी शेष है। वाद के अन्तिम निर्णय से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण के जरिये मृतक की विरासत दर्ज की गई है जिसमें कोई अविधिकता नहीं है। खातेदारी भूमि के मूल खातेदार के विधिक उत्तराधिकारी को रेकॉर्ड पर लिये जाने से अपीलान्टस के हकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। विरासत के नामान्तरकरण को चुनौती देने का अपीलान्टस को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदारान की मृत्यु पश्चात मृतकों की विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण मृतकों का प्रमाणित सजरा व प्रमाणित शपथ पत्रों के आधार पर बाद विधिवत जांच किसी भी प्रकार की अनियमितता उजागर नहीं हुई है। हम पैरोकार सरकार के इन कथनों से सहमत हैं कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक Fixel Proceedings मात्र है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक/अधिकार तय नहीं किये जा सकते। किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार केवल मात्र नियमित राजस्व वाद के जरिये ही निर्धारित किये जा सकते हैं। चूंकि अपीलान्टस के कथनानुसार अपीलान्टस एवं रेस्पोण्डेन्टस के मध्य सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन है। उक्त वाद के अन्तिम निर्णय पश्चात पक्षकारान के मध्य उनके खातेदारी अधिकार तय हो सकेंगे।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण न्यायोचित है। उसमें हम किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्टस पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner